न्यायालय उपजिला कलेक्टर दौसा

मु0न0 6/2017 पीठासीन अधिकारी का नाम
दिनांक रज्जू 15.05.2017 सन्तोष कुमार गोयल
निर्णय दिनांक 01.11.17 आर0ए0एस0

1 मु0 पाची पुत्री छाज्या पत्नि कन्हैया लाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बिहारीपुरा त
दौसा हाल निवासी सिण्डोली तह0 दौसा

बनाम

1. देवी लाल पुत्र छाजू लाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बिहारीपुरा तह0 दौसा
2. ग्राम पंचायत चांदराना तह0 दौसा जरिये सरपंच
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अपील नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 12.09.71
ग्राम पंचायत चांदराना तह0 दौसा

उपस्थित श्री विनोद विजय एडवोकेट अपीलांट
रेस्पोडेंट के खिलाफ इकतरफा

वकील अपीलांट उपस्थित अपील नामांतकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से
अपीलांट व रेस्पोडेंट की पैतृक संपति ग्राम बिहारीपुरा तह0 दौसा के साबिक ख0न0 4
रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ख0न0 116 रकबा 4 बीघा 186 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा 294
1 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा स्थित थी। उक्त आराजीयात की खा
साबिक में अपीलांट व रेस्पोडेट के पिता छाज्या पुत्र रतना के नाम से थी तथा
आराजीयात के हाल ख0न0 69 199 218 219 220 405 406 407 622 626 627 रकबा
के हुवे जिसकी खातेदारी वर्तमान में रेस्पोडेंट न0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में द
अपीलांट के पिता का स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेंट न0 1 ने पटवारी हल्का व तत्कालीन
साज से साजकर चुपचाप में केवल मात्र रेस्पोडेंट न0 1 के रूप में तस्दीक करवा लिया
अपीलांट का आज भी 1/2 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट मृतक छाज
जायंदा पुत्री है एवं जायज कानूनी वारिस है इसलिए ग्राम पंचायत को मृतक छाज
विरासत का नामांतकरण छाज्या के समस्त वारिसान के पक्ष में तस्दीक करना चाहि
परन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने चुपचाप में अवैध व गैर कानूनी तरिके से रेस्पोडेंट न0
नाम तस्दीक कर दिया। उक्त अवैध नामांतकरण का सर्वप्रथम इल्म अपीलांट को रेस
न्डा ने दिनांक 04.12.2003 को यह कहा कि उक्त आराजीयात मेरे नाम से है
नामांतकरण मेरे नाम से तस्दीक हो गया इसलिए भूमि का विक्रय करूंगा। इस पर अ
ने दिनांक 04.12.2003 को अवैध नामांतकरण का तलाश किया तथा नकल प्रार्थना प
किया जिसकी नकल 09.12.2003 को प्राप्त की व अवैध नामांतकरण के विरूद्ध अपील पे
अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतकरण तस्दीक से पूर्व छाज्या पुत्र रतना के समस्त वारिसा
कोई नोटिस नही दिया ना ही वारिसान के बारे में जानकारी हासिल की। इसलिए नि
नामांतकरण निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)